

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा
(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 30/2023 अपील सू.प्र.

उनवान

जी0एस0 ठाकुर पुत्र भंवर सिंह निवासी बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला
रोपां, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा रसद अधिकारी, भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थागण

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005



उपस्थित :- प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

दिनांक : 21.07.2023

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 19.05.2023 को प्राप्त हुई, जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/- रु का एक पोस्टल ऑर्डर संख्या 52 एफ 374009 के साथ एक आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित किया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.05.2023 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा के कार्यालय के पत्रांक 30 दिनांक 15.06.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं :-

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना/जवाब तैयार कर कार्यालय जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा के पत्रांक रसद/सू.अ./2023/30 दिनांक 30.05.2023 से अपीलार्थी/प्रार्थी को प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 21.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा